(15)

निग० 5407/2018/सिंगरौली/भू-रा०

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, (सर्किट कोर्ट रीवा)

20रु COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 — 5रु कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES — 5रु कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित

भोला सिंह तनय अक्षयवर सिंह क्षत्रिय, निवासी ग्राम–गोरा, तहसील–सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म0प्र0) ——आवेदक

बनाम

स्टेट ऑफ म0प्र0 ——अनावेदक

अधि० श्री अजंती कुमार सोनी द्वारा पेश। 05-9-18

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) के प्रकरण क्र. 1773/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2018.

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता.

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य

यह कि भूमि खसरा नं. 328 रकवा 0.040 हे. व 995 रकवा 1.04, 996 रकवा 0.60 हे. का म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र के ज्ञापन क्र. 1793/19–1–79/साल/शाखा–2/भोपाल, दिनांक 24.08.1979 के अनुसार नायब तहसीलदार सिंगरौली के राजस्व प्रकरण क्र. 872/अ–19(4)/80–81 में दिनांक 05.09.1981 को व्यवस्थापन आदेश पारित किया है, जिसके परिपालन में भूमिस्वामी अधिकारों का पट्टा निर्धारित प्रोफार्मा में जारी किया गया, जिसकी प्रवृष्टि भू–अभिलेखों में 82–83 से 86–87 तक की गई, किन्तु इसी दौरान सीधी–सिंगरौली में बन्दोवस्त सर्वेक्षण काल प्रारंभ होने पर जो भू–अभिलेख तैयार हुए, उसमें आवेदक का नाम छोड़ दिया गया।

(15)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग 5407/2018/सिंगरौली/भू–रा0 जिला– सिंगरौली

भोला सिंह/ शासन

(1)	(2)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री जयप्रकाश सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1773/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 05.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य